न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12/135/2024 रजू दिनांकः 17.10.2024 रजि0 न0 2024/244

अपीलार्थीः–

श्री निरजो मीना पत्नि श्री हरिशचन्द मीना हाल निवासी, ग्राम–पोस्ट ओण्ड मीणा (जिन्सी का पुरा) तहसील–महवा, जिला दौसा–322240 राजस्थान।

प्रत्यर्थीः–

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय), जिला अलवर (राजस्थान)

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

––:: निर्णय ::––

दिनांकः– 02.12.2024

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 23.08..2024 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील पेश कर निवेदन किया है कि प्रत्यर्थी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में प्रत्यर्थी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहते है तो दिनांक 21.10.2024 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नही आया एवं प्रत्यर्थी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रत्यर्थी ने पत्रांक लो.सू.अ./प्रथम अपील/2024/2203 दिनांक 25.11.2024 के द्वारा जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि अपील प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा RTI Online आवेदन संख्या 293775702621347 दिनांक 23.08...2024 आवेदन के माध्यम से पूर्व प्रस्तुत शिकायत प्रा0पत्र दिनांक 16.01.2024 के परिपेक्ष्य में की गई कार्यवाही बाबत अद्यतन सूचना चाही गई थी जिसके परिपेक्ष्य में इस कार्यालय स्तर पर जानकारी/सूचना प्राप्त किए जाने पर, अति0 जिला कलक्टर (द्वितीय) एवं प्रभारी अधिकारी, सतर्कता प्रकोष्ठ कलक्ट्रेट, अलवर के पत्र सं. सतर्कता/सूकाअ/2024/505 दिनांक 20.11.2024 के माध्यम से प्राप्त/अभिलेख पर संधारित 20 पृष्ठीय विस्तृत सूचना, ऑनलाईन पत्र सं. 3173011185 दिनांक 25.11.2024 के माध्यम से प्रेषित की जा चुकी है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रस्तुत जवाब के अवलोकन एवं अध्ययन से स्पष्ट है कि प्रथम अपील के संबंध में प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को वांछित सूचना के संबध में ऑनलाईन पोर्टल पत्र सं0 3173011185 दिनांक 25.11.2024 के माध्यम से सूचना प्रेषित की जा चुकी है तथापि प्रत्यर्थी द्वारा जरिये प्रतिलिपि कमांक 2204 दिनांक 25.11.2024 के द्वारा उक्त प्रकरण में अधिनियम, 2005 के विधिक प्रावधानों के आलोक में विनिश्चय कर सूचना पुनः प्रेषित की जा चुकि है। अपील अपीलांट अस्वीकार किये जाने योग्य है।
6. अतः उक्त आलोक में अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
7. निर्णय आज दिनांक **02.12.2024** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
8. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय जिला कलक्टर * अलवर (राज०) *

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर अलवर
(राजस्थान)